

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0-5/अ0प्र0-01-09/2024

666 / पटना, दिनांक- 8.12.25

श्रीमती अनामिका राज, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, चकिया सम्प्रति प्राक्कलन पदाधिकारी, कार्य प्रमंडल, दानापुर के द्वारा स्वयं के चिकित्सा हेतु दिनांक 19.07.2024 से 28.08.2024 तक कुल 41 (इकतालीस) दिनों के उपभोगित अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के प्रावधानानुसार उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती अनामिका राज, सहायक अभियंता को परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

 05.12.25

(अभय झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-5/अ0प्र0-01-09/2024 12290 / पटना, दिनांक-

8.12.25

प्रतिलिपि:-महालेखाकार का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 05.12.25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-5/अ0प्र0-01-09/2024 12290 / पटना, दिनांक-

8.12.25

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 05.12.25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-5/अ0प्र0-01-09/2024 12290 / पटना, दिनांक-

8.12.25

प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता-01, पटना/मुख्य अभियंता-05, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दानापुर/मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, चकिया/श्रीमती अनामिका राज, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, चकिया सम्प्रति प्राक्कलन पदाधिकारी, कार्य प्रमंडल, दानापुर एवं आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 05.12.25

सरकार के संयुक्त सचिव

office order Priya

